

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 06/2021 प्रार्थना-पत्र/चित्तौड़ (GCMS 2021/64)

पंजीयन दिनांक– 11.02.2021

निर्णय दिनांक– 21.09.2021

श्री रामेश्वरलाल पिता बालू माली, निवासी माली खेडा,  
तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

**बनाम**

राज्य जरिये, तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर,  
जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोंडेंट

उपस्थिति:–

1. श्री पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 159  
विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण  
संख्या 08/2016 एलआर निर्णय दिनांक 11.10.2017

**निर्णय**

दिनांक 21.09.2021

अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 84 राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी,  
चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 08/2016 एलआर निर्णय दिनांक  
11.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 06.11.2017 को न्यायालय राजस्व  
अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश किया गया। राज्य सरकार की  
अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित  
होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज  
की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक  
449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का

क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 08/2016 एलआर उनवान रामेश्वर पिता बालु माली, निवासी मालीखेडा, तहसील भूपालसागर बनाम राज्य जरिये तहसीलदार, भूपालसागर में पारित निर्णय में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 313/2015 निर्णय दिनांक 26.11.2015 व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण नियमन की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2015 एवं 15.02.2016 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय को निर्देशित नहीं किया जाने एवं लिपिकीय त्रुटि होने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:— *“बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में प्रस्तुत दलीले, अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपील का प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1007/368 रकबा 0.27 हैक्टेयर ग्राम मालीखेडा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ पर लम्बे समय से कब्जा होना निर्विवादित है। ऐसी सूरत में तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलांट के प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण करे एवं राजकीय परिपत्रों/निर्देशों/नियमों में उक्त प्रकरण नियमन योग्य हो तथा अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में आता हो तो गुणवगुण के आधार पर नियमन की कार्यवाही करें।*

*विस्तृत सुनवाई एवं मौका निरीक्षण के पश्चात नियमन का नियमानुसार निर्णय 6 माह में पारित करे, तत्समय ही अपीलांट की बेदखली के संबंध में निर्णय किया जावे।”*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

यह प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का कब्जा आराजी नम्बर 1007/368 पर नहीं होकर आराजी नम्बर 368 बिलानाम रकबा 3 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर पर चला आ रहा है व उक्त रकबा बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है, जबकि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में आराजी नम्बर 1007/368 रकबा 0.27 हैक्टेयर पर कब्जा होना मानते हुए निर्णय पारित किया व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी आराजी नम्बर 1007/368 पर कब्जा होना माना जिस पर न्यायालय आप के निर्णय में भी आराजी नम्बर 1007/368 पर कब्जा होना मानते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट ने विचारण न्यायालय एवं आप न्यायालय में यह स्पष्ट किया है कि अपीलांट का कब्जा 1007/368 पर नहीं होकर आराजी नम्बर 368 रकबा 3 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर पर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में निर्णय में आराजी नम्बर 1007/368 रकबा 0.27 हैक्टेयर के बजाय आराजी नम्बर 368 रकबा 3 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर अंकित किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार फरमाया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मूल न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 के सन्दर्भ में रिव्यू आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय के निर्णय को संशोधित करने का निवेदन किया है। आवेदक का यह कथन है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा 11.10.2017 को जो निर्णय किया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, फिर भी निर्णय में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है, यह एक लिपिकीय त्रुटि है, उसके सुधार किया जाना वांछनीय है तथा साथ ही यह भी निवेदन किया है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी का कब्जा आराजी नं० 1007/368 पर नहीं होकर आराजी नं० 368 रकबा 3 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर पर चला आ रहा है, जो बिलानाम सरकार दर्ज है, जबकि न्यायालय ने अपने निर्णय में आराजी नं०. आराजी नं० 1007/368 रकबा 0.27 हैक्टेयर पर कब्जा होना मानते हुए निर्णय पारित किया है व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी आराजी नं० आराजी नं० 1007/368 पर कब्जा होना माना जिस पर श्रीमान् के निर्णय में भी आराजी नं० आराजी नं० 1007/368 पर कब्जा होना मानते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि प्रार्थी ने विचारण न्यायालय व श्रीमान् के न्यायालय में यह स्पष्ट कर दिया कि उसका कब्जा आराजी नं० 1007/368 पर नहीं होकर आराजी नं० 368 रकबा 3.00 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर पर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में श्रीमान् के न्यायालय के निर्णय में आराजी नं० आराजी नं० 1007/368 रकबा 0.27 हैक्टेयर के

बजाय आराजी नं0 368 रकबा 3.00 हैक्टेयर में से 0.27 हैक्टेयर अंकित किया जाना रिव्यू के आधार पर उचित है।

आवेदक द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें मूलतया रिव्यू किये जाने के लिए दो प्रमुख बिन्दु रखे हैं। पहला बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है तथा नियमन हेतु निर्देशित किया गया है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को अपास्त शब्द का अंकन किया जावे। हम यह पाते हैं कि राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 11.10.2017 को जो निर्णय किया गया है, उसमें कहीं पर भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने अथवा निरस्त किये जाने का उल्लेख नहीं है, सिर्फ उसमें यह वर्णित किया गया है कि अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर लम्बे समय से कब्जा है तथा उक्त कब्जे को लेकर यदि वह नियमन की पात्रता रखता हो तो नियमों, परिपत्रों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। राजकीय भूमि पर यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसकी पात्रता, निर्देशों एवं नियमों की अनुपालना होने पर ही वह उक्त भूमि का नियमन होने के पश्चात् विधिक रूप से उक्त भूमि को धारण करने की पात्रता रखता हो, किसी भी न्यायिक निर्णय में अतिक्रमी को उक्त भूमि पर कब्जा रखे जाने की इजाजत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उक्त भूमि पर उसका नियमन नहीं हो जायें। राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा कहीं पर भी प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निर्देश नहीं दिया है, सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि न्यायालय की मंशा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अतिक्रमी को बिना नियमन के कब्जे को निरन्तर रखे जाने के निर्देश दिये हो। रिव्यू का स्कॉप बहुत सीमित होता है तथा हम राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 11.10.2017 के अवलोकन से न्यायालय के निर्णय में अथवा

उनकी मंशा, यह नहीं पाते कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर बिना नियमन हुए अतिक्रमी को कब्जा निरन्तर रखे जाने का निर्णय किया हो अथवा तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया हो, तदनुसार आवेदक का यह अनुरोध कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपास्त करने का उल्लेख किया जायें, हम रिव्यू के स्कॉप में नहीं पाते।

जहां तक आवेदक का यह कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उसके अनुरोध अनुसार उसका नाजायज कब्जा आराजी नं० 368 रकबा 3.00 हैक्टे. में से 0.27 हैक्टेयर पर नहीं मानकर आराजी नं० 1007/368 रकबा 0.27 हैक्टे. का अंकित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है, अर्थात् वह यह कहना चाहता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को उसका कब्जा आराजी नं० 1007/368 पर नहीं होकर आराजी नं० 368 पर था एवं इस आधार पर संशोधन करना चाहिये। आवेदक का यह कथन विस्मयकारी एवं आश्चर्यजनक है क्योंकि तहसीलदार द्वारा उसके विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी है, वह आराजी नं० 1007/368 पर अतिक्रमण को लेकर की गयी है। अपीलीय न्यायालय में आवेदक स्वयं द्वारा उक्त निर्णय को ही चुनौती दी गयी है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उस बाबत ही निर्णय किया गया है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी उसी आराजी को लेकर उल्लेख किया गया है तो अब अपीलाण्ट आवेदक को आराजी नं० 1007/368 के स्थान पर आराजी नं० 368 का अतिक्रमी अपीलीय न्यायालय किस प्रकार घोषित कर सकता है। यदि वह स्वयं आराजी नं० 1007/367 पर अपना कब्जा होना नहीं मानता तो उस पर उसे अपील करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ?, तदनुसार आवेदक का यह कथन कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आराजी नं० 1007/368 त्रुटिपूर्ण लिखा है, मान्य नहीं है।

रिव्यू का स्कॉप अत्यन्त सीमित होता है जिसमें सिर्फ लिपिकीय त्रुटियों, रेकॉर्ड पर चस्प त्रुटियों पर ही निर्णय किया जा सकता है। मूल निर्णय की मंशा अथवा भावना में अपील स्वयं निर्णयकर्ता न्यायालय सुनने की अधिकारिता नहीं रखता, तदनुसार आवेदक के इस रिव्यू आवेदन को सारहीन पाते हैं, अतएवं रिव्यू आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(एल.एन.मंत्री)  
अति.संभागीय आयुक्त  
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)  
अति.संभागीय आयुक्त  
उदयपुर